राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या –748/2014/चित्तौडगढ़

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–प्रथम, वृत–चित्तौड़गढ़ .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स सिको टैक्नोलोजी,
चित्तौडगढ .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री के.एल.जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई,
उप–राजकीय अधिवक्ता .....राजस्व की ओर से

अनुपस्थित .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 04/05/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 01/वेट/13–14/चित्तौडगढ़ में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 31.12.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें प्रत्यर्थी व्यवहारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, वृत–चित्तौडगढ़ (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 23 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 28.02.2013 के जरिये आरोपित शास्ति रुपये 7,136/– के बिन्दु पर प्रकरण अपीलीय अधिकारी द्वारा सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने को विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी द्वारा विवरण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर शास्ति का आरोपण किया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा व्यवसायी को सुनवाई हेतु नोटिस दिनांक 26.02.2013 का जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में अपीलार्थी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत न करने पर सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार कर दी गई, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा अधिनियम की धारा 83 के तहत यह अपील प्रस्तुत करते हुए प्रकरण सशक्त अधिकारी प्रतिप्रेषित किया गया। करने को विवादित

3. विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अविधिक बताते हुये कथन किया कि प्रत्यर्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया था, विवरण पत्र प्रस्तुत करने के लिये प्रत्यर्थी दायी है। अतः विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी बावजूद प्रकाशन सूचना के अनुपस्थित।

5. राजस्व की एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण

लगातार.....2

अधिकारी के आदेश में विवरण पत्र पेश नहीं करने पर अधिनियम की धारा 58 में जो शास्ति आरोपित की गई थी उसे इस आधार पर अविधिक माना कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को शास्ति आरोपण के पूर्व सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया था एवं न ही इस संबंध में नोटिस तामील कराने की पुष्टि पाई गई थी परन्तु न्यायहित में कर निर्धारण अधिकारी को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर यह निर्देश दिये गये कि वे सनुवाई का अवसर प्रदान कर नियमानुसार कार्यवाही करें। अपीलीय अधिकारी का यह निर्णय विधि व न्याय के अनुकूल है, जिसमें न्यायिक दृष्टि से सुनवाई का अवसर दिये जाने का निर्णय किया गया है जिससे कर निर्धारण अधिकारी को आपत्ति होना भी अनुचित है। फलतः अपीलीय आदेश की पुष्टि करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

6. उपरोक्त विश्लेषण और विवेचन के अनुसार राजस्व की अपील अस्वीकार करते हुए अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है।

7. निर्णय सुनाया गया।

(के.एल.जैन)
सदस्य